(5)

App-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम–रावतभाटा

रामलक्ष्मण जी स्थान देह बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 14 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
14-6-19	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट बाबत जांच प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी श्री रामलक्ष्मण जी स्थान देह खातेदार जरिए पुजारी कमलेश कुमारी शर्मा पिता शिवनारायण ब्राह्मण निवासी सेमलिया ने ग्राम सेमलिया स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 25, 26, 27, 30, 31, 32, 46, 47, 48, 50, 326 कीता 11 रकबा 6.59 हे. की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम सेमलिया स्थित आराजी नम्बर 25, 26, 27, 30, 31, 32, 46, 47, 48, 50, 326 कीता 11 रकबा 6.59 हे. की बिना किसी के कब्जे से दखलन्दाजी किये सेटलमेंट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिए जाते है। पत्थरगढी खर्चा प्रार्थी वहन करेंगे। कमिश्नर शुल्क 1000/- रुपए अक्षरे एक हजार रुपए प्रार्थी से वसूल हो। पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को लिखा जावे कि पटवारान को सूचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आराजी की पत्थरगढी की जावे एवं कोई विवाद हो तो पुनः पेश करें। पालना प्राप्त हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Sukh Gurjar
Date: 2019.11.22 13:41:41 IST
Reason: SelfAttested